भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1226

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: विषम मौसमी घटनाओं के प्रभाव का उपशमन

1226. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर केरल (विशेषकर वायनाड में भूस्खलन), मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लू, चक्रवात, बिजली गिरना, बाढ़ और भू-स्खलन सहित विषम मौसमी घटनाओं के कारण हुई मौतों, फसलों की हानि, पशुओं की मृत्यु और इन्फ्रास्ट्रक्चर को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन घटनाओं के प्रभाव के उपशमन और ऐसी विषम मौसमी स्थितियों के प्रति समुदायों, कृषि और अवसंरचना के लचीलेपन को सुदृढ़ करने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार आपदा अनुक्रिया मॉडल के स्थान पर जोखिम में कमी और जलवायु लौटाव पर केन्द्रित सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं तथा विषम मौसम से जुड़े भावी जोखिमों को कम करने के लिए मापनीय परिणाम प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) और (ख): अत्यंत विषम मौसम की घटनाओं से होने वाली मौतों, फसल नुकसान, पशुधन की मृत्यु और इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी नुकसान के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2024- 25		
		व्यक्तियों की मृत्यु (संख्या में)	मवेशियों की हानि (संख्या में)	क्षतिग्रस्त मकान/ झोपड़ियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	केरल	359	351	2153
2	मध्य प्रदेश	378	1204	8247
3	महाराष्ट्र	206	551	99

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों के लिए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारें चक्रवात और बाढ़ जैसे 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भारत सरकार के अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार प्रभावित लोगों को पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम के दौरे पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता मुआवजे के लिए नहीं, अपितु राहत उपाय के लिए दी जाती है।

(ग) और (घ): आपदा प्रबंधन शासन की एक सतत और विकसित प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बाद, सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया मॉडल दृष्टिकोण के स्थान पर सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें तैयारी, क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया, शमन, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के माध्यम से आपदा जोखिम शमन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

i. सरकार ने प्राकृतिक आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने हेतु देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जैसे मजबूत संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं।

ii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण प्रदान करने के लिए की गई है।

iii. एनडीएमए ने वर्ष 2016 में पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) विकसित की थी। योजना को वर्ष 2019 में संशोधित किया गया और इसे सेंडाइ फ्रेमवर्क और प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडे के अनुरूप बनाया गया था।

iv. एनडीएमए ने हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न विषयगत और क्रॉस-कटिंग मुद्दों पर जोखिम विशिष्ट आपदा के प्रबंधन के लिए अड़तीस (38) दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

v. महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के नेतृत्व और अधिक भागीदारी तथा आपदा जोखिम प्रबंधन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आपदा जोखिम प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को आपदा मित्र स्वयंसेवकों के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके तथा देश में चक्रवात आश्रय प्रबंधन एवं अनुरक्षण समितियों (सीएसएमएमसी) के रख-रखाव और प्रबंधन में 50% महिलाओं की भागीदारी के साथ बढ़ाया गया है।

vi. एनडीएमए ने चक्रवात जोखिम शमन और प्रतिक्रिया नियोजन के लिए एक वेब-आधारित गतिशील समग्र जोखिम एटलस और निर्णय समर्थन प्रणाली (वेब-डीसीआरए और डीएसएस टूल) विकसित की है।

vii. सरकार ने आपदा जोखिम संबंधी जानकारी को अद्यतन करने तथा उसे सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर

क्षेत्रों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि सभी परियोजनाएं आपदा प्रतिरोधी हों।

viii. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) द्वारा बाढ़ प्रवण राज्यों पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश तथा तुलनात्मक रूप से कम बाढ़ प्रभावित राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए बाढ़ खतरा एटलस विकसित किया गया है।

ix. बिल्डिंग मैटीरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल (बीएमटीपीसी) ने एक डिजिटल एटलस विकसित किया है जो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परियोजना तैयार करने में इस जानकारी का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया है।

x. एनआरएससी ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 28,000 ग्लेशियर झीलों का एक व्यापक डेटा सेट तैयार किया है।

xi. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दिल्ली का भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण तैयार किया है तथा कई अन्य शहरों के भूकंपीय सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण में सहायता प्रदान की है।

xii. भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी प्रभावित/ प्रभावित होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चक्रवातों सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

xiii. आम लोगों तक समय पर पूर्व चेतावनी और अलर्ट पहुंचाने के लिए दामिनी, मौसम, सचेत आदि जैसे कई नए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं।

xiv. एनडीएमए लोगों को चल रही आपदा घटनाओं और उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का भी उपयोग करता है। सोशल मीडिया का उपयोग प्रिंट मीडिया (जैसे एनडीएमए अधिकारियों द्वारा लिखे गए ओपीएड) और प्रसारण मीडिया (जैसे "आपदा का सामना" कार्यक्रम) पर दी जाने वाली सामग्री की पहुंच बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।

xv. राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी) को 8 तटीय राज्यों में क्रियान्वित किया गया है। बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विभिन्न चक्रवातों के दौरान जान बचाने में बहुत मददगार साबित हुई हैं।

xvi. 354.83 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित 'एकीकृत अलर्ट सिस्टम' लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आपदाओं से संबंधित भौगोलिक रूप से लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों/अलर्ट को भारत के नागरिकों तक पहुंचाना है। अब तक 4300 करोड़ से अधिक एसएमएस अलर्ट जारी किए जा चुके हैं।

xvii. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के तत्वावधान में भारतीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य आपदा अनुकूलन में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की भूमिका को उजागर करना तथा विभिन्न

स्तरों पर इसके एकीकरण के साथ डीआरआर के लिए आदर्श पाठ्यक्रम विकसित करना है।

xviii. देश में स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए 369.40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आपदा मित्र योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 350 बहु-संकटग्रस्त आपदा संभावित जिलों में आपदा बचाव में 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

xix. लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एनडीएमए और एनडीआरएफ द्वारा नियमित रूप से मॉक अभ्यास, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

xx. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का क्रियान्वयन कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए किया गया है।

xxi. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने तथा जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) का क्रियान्वयन करती है।

*****